दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 02 अगस्त, 2021
निर्णीत : 24 अगस्त, 2021

ज़मानत अर्ज़ी 1880/2021

अमित शर्मा ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री प्रदीप तेवतिया, अधिवक्ता |

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री तरंग श्रीवास्तव, राज्य के अति.लो.अभि |
श्री रवि शंकर कुमार, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता |

कोरम:
माननीय न्यायाधीश सुश्री मुक्ता गुप्ता

1. इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता ने भा.दं.सं. की धारा 304-बी/498-ए/34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के

तहत थाना न्यू उस्मानपुर में पंजीकृत प्राथमिकी सं. 468/2020 में नियमित ज़मानत की मांग की है |

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रतिविरोध करते हैं कि प्राथमिकी में तथा यहां तक कि मृतका के पिता, जो शिकायतकर्ता और प्राथमिकी पंजीकरणकर्ता भी है, के दं.प्र.सं. की धारा 161 तथा दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज बयानों में, आरोप यदि कोई हैं, तो वह याचिकाकर्ता की माँ और बहन के विरुद्ध लगाए गए हैं, न कि याचिकाकर्ता के खिलाफ । याचिकाकर्ता की मां और बहन को पहले ही अग्रिम ज़मानत दे दी गई है। याचिकाकर्ता पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष कृत्य या आत्महत्या के दुष्प्रेरण में किसी भी प्रकार की भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। मात्र इसलिए कि मृत्यु से ठीक पहले, याचिकाकर्ता और मृतका ने मोबाइल फोन पर बात की, यह संदेह पैदा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने मृतका को आत्महत्या के लिए

उकसाया । यह दर्शाने के लिए किसी भी प्रकार का तथ्य उपस्थित नहीं है कि मृतका की मृत्यु से पहले, याचिकाकर्ता ने दहेज की मांग हेतु मृतका के साथ क्रूर व्यावहार किया । याचिकाकर्ता एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है और यहां तक कि अभी तक आरोप भी नहीं विरचित किए गए हैं ।

3. राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. निवेदन करते हैं कि हालांकि घटना के तुरंत बाद मृतका के पिता द्वारा एक विस्तृत बयान नहीं दिया गया था, हालांकि, बाद में, उन्होंने एक विस्तृत बयान दिया जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाए। इसके अतिरिक्त, मृतका द्वारा आत्महत्या करने से तुरंत पहले याचिकाकर्ता द्वारा मृतका को फोन करने का आचरण स्वयं मृतका एवं याचिकाकर्ता के बीच चल रहे उस विवाद को दर्शाता है जिसने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया | विद्वान अति.लो.अभि. आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि विवाह के समय दहेज की मांग के

आरोप हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता को कोई ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए।

4. राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. के तर्कों को पूर्ण करने वाले शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रतिविरोध करते हैं कि अपनी पुत्री की मृत्यु के तुरंत बाद, शिकायतकर्ता बयान देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं था और इस प्रकार, वह पूर्ण तथ्यों को प्रकट नहीं कर सका और बाद में, वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप पर, विस्तृत बयान दर्ज किया गया और याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने *गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28 मई 2021 को निर्णीत निर्णय का भी सन्दर्भ दिया जिसमें यह माना गया है कि दहेज हत्या के मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत अनुमान लगाया जाना आवश्यक है।

5. उपरोक्त प्राथमिकी दिनांक 15 जुलाई 2020 को एक्स-123, ब्रह्मपुरी, दिल्ली में एक महिला के फांसी लगा लेने के संबंध में प्राप्त हुई एक पीसीआर कॉल के बाद डीडी सं. 54ए के माध्यम से दर्ज की गई थी । मौके पर पहुंचने पर, पीसीआर अधिकारी ने कमरे का दरवाजा खोला जो अंदर से बंद था और वहां मृतका को दुपट्टे के साथ छत से लटका पाया । पूछताछ के दौरान, मृतका का नाम जागृति के रूप में सामने आया, जिसकी शादी दिनांक 17 मई, 2019 को याचिकाकर्ता से हुई थी और याचिकाकर्ता के साथ भूतल पर रह रही थी, जबकि पहली मंजिल पर याचिकाकर्ता का बड़ा भाई रहता था। मृतका के पिता का बयान कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2020 को दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने दिनांक 17 मई 2019 को अपनी बेटी की शादी याचिकाकर्ता के साथ की थी । शादी के दो महीने बाद, उसकी बेटी की सास और जेठानी दहेज के लिए उसे रोज़ाना परेशान

करते थे | शिकायतकर्ता और उसकी बड़ी बेटी मृतका के ससुराल आए, जहां उन्हें मृतका की सास और भाभी द्वारा चले जाने के लिए कह दिया | दिनांक 14 जुलाई, 2020 को, उनकी बेटी ने फोन किया था और वह बहुत अच्छे मिजाज़ में बात कर रही थी। दिनांक 15 जुलाई, 2020 को दोपहर लगभग 2 बजे, शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता का फोन आया जिसमें कहा गया कि जागृति दरवाजा नहीं खोल रही है। शिकायतकर्ता ने भी अपनी बेटी को फोन किया लेकिन उसने नहीं उठाया । इसके बाद, याचिकाकर्ता ने जागृति की मृत्यु के बारे में जानकारी दी ।

6. दिनांक 10 अगस्त, 2020 को दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत शिकायतकर्ता का बयान भी दर्ज किया गया था, जिसमें, उन्होंने दोहराया कि उन्होंने अपनी बेटी जागृति की शादी याचिकाकर्ता से दिनांक 17 मई 2019 को की थी और सगाई के समय, याचिकाकर्ता की ओर से दहेज की कोई मांग नहीं थी। हालांकि, शादी से पहले,

ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी, जिसके कारण, उन्होंने फल और बर्तनों के अलावा 35 जोड़ी साड़ी, 35 जोड़ी पेंट-कमीज़, 10 सूट, याचिकाकर्ता के लिए कपड़े, एक अंगूठी, एक घड़ी और चांदी के सिक्के दिए । यह आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद, शगुन के रूप में दिए गए गहने और सामान ससुराल वालों द्वारा रख लिए गए थे और जब उनकी बेटी ने गहने और सामान मांगा, तो उसे वह नहीं दिए गए । ऐसा आरोप है कि मृतका का जेठ उसे घर खाली करने के लिए कहता था और सास घर का किराया मांगती थी । शादी के एक महीने बाद, शिकायतकर्ता अपनी बड़ी बेटी के साथ जागृति के ससुराल वालों को समझाने गया था, जब याचिकाकर्ता के बड़े भाई अनिल शर्मा ने उन्हें घर के बाहर धकेल दिया और भाभी नीता ने गालियाँ दी । इसके बाद, ससुराल वालों ने उनकी बेटी और दामाद का घर अलग कर दिया । एक दिन, मृतका ने याचिकाकर्ता का कॉलर पकड़ लिया था क्योंकि वह शिकायतकर्ता और उसकी बड़ी

बेटी को गाली दे रहा था, जिस पर घर में विवाद उत्पन्न हुआ था । ऐसा आरोप है कि दहेज की मांग के कारण याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा परेशान करने के कारण उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली।

7. शिकायतकर्ता का बयान दिनांक 27 अगस्त, 2020 को दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने दिनांक 10 अगस्त, 2020 को दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज अपने संस्करण को दोहराया । दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयान में, उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की या उसे उसके ससुराल वालों ने मार डाला ।

8. मृतका की मृत्यु के 17 दिन बाद दर्ज दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत बयान में भी शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप को देखने से भी शादी के समय दहेज की मांग का पता चलता है, हालांकि

उसके बाद मुख्य आरोप यह हैं कि ससुराल वालों ने शगुन में दिए गए आभूषण और सामान को अपने पास रखा और वापस नहीं किया, मृतका का जेठ मृतका को घर खाली करने के लिए कहता था और सास मृतका से किराए के लिए कहती थी । घटना के बारे में यह आरोप है कि शिकायतकर्ता और उसकी बड़ी बेटी को ससुराल वालों द्वारा बाहर धकेलने की घटना शादी के एक महीने बाद यानी मृतका द्वारा आत्महत्या करने से लगभग तेरह महीने पहले की है । इस आरोप के संबंध में कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य उसे दहेज के लिए परेशान करते थे, जिसके कारण, वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई थी, शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर ऐसा कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है, सिवाय इसके कि शादी के समय साड़ी, सूट, घड़ी, अंगूठी, चांदी के सिक्के आदि दिए गए थे ।

9. राज्य के फाज़िल अति.लो.अभि. ने कहा कि मृतका द्वारा आत्महत्या करने से ठीक पहले की गई जांच के अनुसार, याचिकाकर्ता और मृतका के बीच एक फोन कॉल हुई है, जिसकी अवधि 377 सेकंड की है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस फोन कॉल से, एक अनुमान लगाया जाना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता ने पर्याप्त मानसिक यातना दी थी जिसने मृतका को आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम उठाने के लिए दुष्प्रेरित किया ।

10. याचिकाकर्ता और मृतका और मृतका और याचिकाकर्ता के परिवार के अन्य सदस्यों के बीच किए गए फोन कॉल के विश्लेषण पर, यह पता चलता है कि दिनांक 15 जुलाई, 2021 को याचिकाकर्ता ने मृतका को 13:28 बजे 163 सेकंड की अवधि हेतु फोन किया जिसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा अपनी बहन को 206 सेकंड के लिए 13:33 बजे कॉल किया गया था और उसके बाद मृतका को पुनः 13:37 बजे 377 सेकंड के लिए कॉल किया था ।

अभियोजन पक्ष का दावा है कि याचिकाकर्ता से मृतका के साथ हुई इस अंतिम कॉल ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया, जिसके लिए कोई सबूत नहीं है । यह किसी भी चरम कदम को नहीं उठाने के लिए राजी करने के लिए हो सकता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को फोन करके सूचित किया कि उसने अंदर से बंद कर लिया है ।

11. याचिकाकर्ता के खिलाफ एकत्र किए गए सबूतों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को नियमित ज़मानत प्रदान करना उचित समझता है। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को उसके द्वारा 50,000/- रूपए की राशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ विद्वान विचारण न्यायालय/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अधीन समान राशि के प्रतिभू प्रस्तुत करने पर तथा इसके अतिरिक्त इस शर्त के अध्यधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए कि याचिकाकर्ता संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के

बिना देश नहीं छोड़ेगा और मोबाइल फोन नंबर और/या आवासीय पते में परिवर्तन की स्थिति में, एक शपथपत्र के माध्यम से संबंधित न्यायालय को सूचित करेगा।

12. याचिका का निपटान किया जाता है।

13. आदेश न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।

(मुक्ता गुप्ता)
न्यायाधीश

24 अगस्त, 2021
एकेबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)
अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|